

- (ii). इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा डी0एड0 (विशेष शिक्षा) और बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।
- (iii). एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी0एड0) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
- (iv). डी0एड0 (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- (v). ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान/गणित, विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए लागू है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 विनियम दिनांक 03.11.2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा इत्यादि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक एन.सी.टी.ई. ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करती है।
- (vi). ऐसा अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी0एड0) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी0एल0एड0) के अन्तिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अनन्तिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा और उनका यू0पी0टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।
- (vii). ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

7. यू0पी0टी0ई0टी0 की संरचना व विषय वस्तु:-

7.1 यू0पी0टी0ई0टी0 में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा। यूपीटीईटी के दो पेपर होंगे।

- (i). प्रथम प्रश्न पत्र (Paper-Ist) ऐसे व्यक्ति के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। (प्राथमिक स्तर)
- (ii). द्वितीय प्रश्न पत्र (Paper-IIInd) ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। (उच्च प्राथमिक स्तर)
- (iii). ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर (कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक) के लिए शिक्षक बनना चाहता है, को दोनों पेपरों (Paper - I and Paper-II) में शामिल होना होगा।

7.2 प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 के लिए)-

- (i). परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टे अर्थात् 150 मिनट होगी।
- (ii). संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि	30 MCQs	30

2.	भाषा प्रथम (हिन्दी)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा 30 MCQs संस्कृत में से कोई एक)		30
4.	गणित	30 MCQs	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन	30 MCQs	30
कुल		150 MCQs	150 अंक

(iii). **प्रश्नों की प्रकृति और स्तर**

- (क) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगे, तथा वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर अन्तर्क्रिया तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केन्द्रित होंगे।
- (ख) भाषा-I में प्रश्न अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगे।
- (ग) भाषा-II, भाषा-I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा-II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगे।
- (घ) गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण -विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगे। इन विषय क्षेत्रों में प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित की जायेगी।
- (ङ) पेपर I के लिये परीक्षा में प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे, किन्तु उनका कठिनाई स्तर और संयोजन इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

7.3 द्वितीय प्रश्न पत्र उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक के लिए)

- (i) परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे अर्थात् कुल 150 मिनट होगी।

- (ii) संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र०सं०	विषय सूची	प्रश्नों की सं०	अंक
1.	बाल विकास और शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQs	30
2.	भाषा I (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
3.	भाषा II (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान		
	(ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन	60 MCQs	60
	(ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी		
कुल		150 MCQs	150

(iii) प्रश्नों की प्रकृति और स्तर

- (1) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 11 से 14 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम और अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगे, तथा वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ परस्पर अन्तर्क्रिया करने तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केन्द्रित होंगे।
- (2) भाषा I में प्रश्न, अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगे।
- (3) भाषा II, भाषा I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगे।
- (4) गणित और विज्ञान/सामाजिक अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगे। गणित और विज्ञान में 30-30 प्रश्न 01-01 अंक के होंगे। प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए निर्धारित उन विषयों के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित किये जायेंगे।
- (5) प्रश्न पत्र II के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 6 से 8 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे किन्तु उनका कठिनाई स्तर व संयोजन इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

7.4. उपर्युक्त संरचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम "परिशिष्ट-I" में दिये गये हैं।

8. प्रश्न पत्र की भाषा- प्रश्न पत्र का माध्यम "हिन्दी" अथवा "अंग्रेजी" होगा।

9. अर्हक अंक-

- 9.1 UP-TET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात् 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- 9.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक स्वयं/विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।
- 9.3 UP-TET में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।
- 9.4 ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सम्पादित कराया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन सं0 भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज/भाषा विकल्प/पार्ट-IV (विज्ञान/गणित या सामाजिक विज्ञान) के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें।
- 9.5 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के कॉलम

परिशिष्ट-I

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 7.4 का संलग्नक)
यूपीटीईटी पाठ्यक्रम की संरचना और विषय-सूची
(पेपर I और पेपर II)

पेपर I (कक्षा I से V के लिए) प्राथमिक स्तर:-

1- बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ

30 प्रश्न

क) विषय-वस्तु

बाल विकास:-

- बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास- अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास।
- बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक-वंशानुक्रम, वातावरण। (पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयीय, संचार माध्यम)

सीखने का अर्थ तथा सिद्धान्त:-

- अधिगम (सीखने) का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ।
- अधिगम के नियम- थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व।
- अधिगम के प्रमुख सिद्धान्त तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धान्त, पैवलव का सम्बद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त, कोहलर का सूझ या अन्तर्दृष्टि का सिद्धान्त, प्याजे का सिद्धान्त, व्योगास्की का सिद्धान्त सीखने का चक्र- अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण।

शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ

- शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, सम्प्रेषण, शिक्षण के सिद्धान्त, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ (उपागम), सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। समावेशी शिक्षा-निर्देशन एवं परामर्श
- शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा: अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक्/अस्थिबाधित), मानसिक दक्षता।
- समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टी0एल0एम0 एवं अभिवृत्तियाँ।
- समावेशित बच्चों का अधिगम जाँचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी।
- समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ। यथा- ब्रेललिपि आदि।
- समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श- अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र
- परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग/संस्थायें:-

- मनोविज्ञानशाला उ0प्र0, प्रयागराज
- मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र (मण्डल स्तर पर)
- जिला चिकित्सालय
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेण्टर

22/-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।
<https://www.freshersnow.com/syllabus/>

- पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तन्त्र
- समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ
- सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन
- बाल-अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व

ख) अधिगम और अध्यापन:-

- बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं; बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों 'असफल' होते हैं।
- अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं; बालकों की अधिगम कार्यनीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम; अधिगम के सामाजिक संदर्भ।
- एक समस्या समाधानकर्ता और एक 'वैज्ञानिक अन्वेषक' के रूप में बालक।
- बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना; अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की 'त्रुटियों' को समझना।
- बोध और संवेदनाएं ।
- प्रेरणा और अधिगम ।
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक - निजी एवं पर्यावरणीय।

II. भाषा - I

क) हिन्दी (विषय वस्तु):-

30 प्रश्न

- अपठित अनुच्छेद।
- हिन्दी वर्णमाला। (स्वर, व्यंजन)
- वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान।
- वाक्य रचना।
- हिन्दी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से-ष, स, श, ब, व, ढ, ड, ङ, क्ष, छ, ण तथा न की ध्वनियाँ।
- हिन्दी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चन्द्रबिन्दु में अन्तर।
- संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द।
- सभी प्रकार की मात्राएँ।
- विराम चिह्नों यथा-अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, चिह्नों का प्रयोग।
- विलोम, समानार्थी, तुकान्त, अतुकान्त, समान ध्वनियों वाले शब्द।
- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद।
- वचन, लिंग एवं काल।
- प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, व देशज, शब्दों की पहचान एवं उनमें अन्तर।
- लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ।
- सन्धि - (1) स्वर सन्धि- दीर्घ सन्धि, गुण सन्धि, वृद्धि सन्धि, यण् सन्धि, अयादि सन्धि।
(2) व्यंजन सन्धि।
(3) विसर्ग सन्धि।

- वाच्य, समास एवं अंलकार के भेद।
- कवियों एवं लेखकों की रचनाएँ।

ख) भाषा विकास का अध्यापन:-

- अधिगम और अर्जन ।
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत ।
- सुनने और बोलने की भूमिका: भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं ।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श ।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ; भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार ।
- भाषा कौशल ।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ।
- अध्यापन - अधिगम सामग्रियाँ: पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन ।
- उपचारात्मक अध्यापन ।

III. भाषा - II

30 प्रश्न

ENGLISH

क) विषय-वस्तु: -

- Unseen Passage
- The Sentence
 - (A) Subject And Predicate
 - (B) Kinds of Sentences
- Parts of Speech
 - Kinds of Noun
 - Pronoun
 - Adverb
 - Adjective
 - Verb
 - Preposition
 - Conjunction
- Tenses - Present, Past, Future
- Articles
- Punctuation
- Word Formation

- Active & Passive Voice
- Singular & Plural
- Gender

IV भाषा - II

30 प्रश्न

उर्दू

क) विषय-वस्तु

- अपठित अनुच्छेद।
- ज़बान की फन्नी महारतों की मालूमात।
- मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालाते जिन्दगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी।
- मुखतलिफ असनाफे अदब जैसे, मज़मून, अफसाना मर्सिया, मसनवी दास्तान वगैरह की तारीफ मअ, अमसाल।
- सही इमला एवं तलफुज की मश्क।
- इस्म, जमीर, सफ़त, मुतज़ाद अल्फ़ाज, वाहिद, जमा, मोजक्कर, मोअन्नस वगैरह की जानकारी।
- सनअते, (तशबीह व इस्तआरा, तलमीह, मराअतुन्नजीर) वगैरह।
- मुहावरें, जर्बुल अमसाल की मालूमात।
- मखतलिफ समाजी मसायल जैसे माहौलियाती आलूदगी जिन्सी नाबराबरी, नाख्वान्दगी, तालीम बराएअम्न, अदमे, तग़जिया, वगैरह की मालूमात।
- नज़्मो, कहानियों, हिकायतों एवं संस्मरणों में मौजूद समाजी एवं एखलाकी अक़दार को समझना।

v. भाषा - II

30 प्रश्न

संस्कृत

क) विषय-वस्तु:-

अपठित अनुच्छेद

संज्ञाएँ-

- अकारान्त पुल्लिङ्ग।
- आकारान्त स्त्रीलिङ्ग।
- अकारान्त नपुंसकलिङ्ग ।
- ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग।
- उकारान्त पुल्लिङ्ग।
- ऋकारान्त पुल्लिङ्ग।
- ॠकारान्त स्त्रीलिङ्ग।
- घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षियों, घरेलू, उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय ।
- सर्वनाम ।
- क्रियाएँ ।
- शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग।
- अव्यय ।

25/-

- सन्धि- सरल शब्दों की सन्धि तथा उनका विच्छेद (दीर्घ सन्धि)।
- संख्याएँ- संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान ।
- लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन।
- स्वर व्यंजन एवं विसर्ग सन्धियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य ।
- कवियों एवं लेखकों की रचनाएँ ।

ख) भाषा विकास का अध्यापन:-

- अधिगम और अर्जन ।
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत ।
- सुनने और बोलने की भूमिका: भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं ।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श ।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ; भाषा की कठिनाईयाँ, त्रुटियाँ और विकार ।
- भाषा कौशल ।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ।
- अध्यापन - अधिगम सामग्रियाँ: पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन।
- उपचारात्मक अध्यापन।

VI. गणित

क) विषय-वस्तु:-

30 प्रश्न

- संख्याएँ एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग।
- लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक।
- भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग।
- दशमलव -जोड़, घटाना, गुणा व भाग।
- ऐकिक नियम।
- प्रतिशत।
- लाभ-हानि।
- साधारण ब्याज ।
- ज्यामिति-ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ।
- धन (रूपया-पैसा)।
- मापन - समय, तौल, धारिता, लम्बाई एवं ताप।
- परिमिति (परिमाप) - त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज।
- कैलेण्डर।
- आंकड़े।
- आयतन, धारिता-घन, घनाभ।
- क्षेत्रफल - आयत, वर्ग।

- रेलवे या बस समय-सारिणी।
- आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण।

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे:-

- गणितीय/तार्किक चिंतन की प्रकृति; बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना ।
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान ।
- गणित की भाषा ।
- सामुदायिक गणित।
- औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन ।
- शिक्षण की समस्याएं ।
- त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू ।
- नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण ।

VII पर्यावरणीय अध्ययन (विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण)

30 प्रश्न

क) विषय-वस्तु:-

- परिवार।
- भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- आवास।
- पेड़-पौधे एवं जन्तु।
- हमारा परिवेश।
- मेला ।
- स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय ।
- जल।
- यातायात एवं संचार।
- खेल एवं खेल भावना।
- भारत -नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, एवं महासागर ।
- हमारा प्रदेश-नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात ।
- संविधान ।
- शासन व्यवस्था-स्थानीय स्वशासन, ग्राम-पंचायत, नगर-पंचायत, जिला-पंचायत, नगर-पालिका, नगर-निगम, जिला-प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय-प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता।
- पर्यावरण-आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण-संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएँ ।

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे:-

- पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति ।
- पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन ।

27/-

- पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा ।
- अधिगम सिद्धांत ।
- विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध ।
- अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण ।
- क्रियाकलाप ।
- प्रयोग/व्यावहारिक कार्य ।
- चर्चा ।
- सतत् व्यापक मूल्यांकन।
- शिक्षण सामग्री/उपकरण ।
- समस्याएं ।

पेपर II (कक्षा VI से VIII के लिए) उच्च प्राथमिक स्तर

I. बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ

30 प्रश्न

क) विषय-वस्तु:-

- बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास- अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास।
- बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक-वंशानुक्रम, वातावरण (पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयीय, संचार माध्यम)।

सीखने का अर्थ तथा सिद्धान्त:-

- अधिगम (सीखने) का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ।
- अधिगम के नियम- थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व।
- अधिगम के प्रमुख सिद्धान्त तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धान्त, पैवलव का सम्बद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त, कोहलर का सूझ या अन्तर्दृष्टि का सिद्धान्त, प्याजे का सिद्धान्त, व्योगास्की का सिद्धान्त सीखने का वक्र- अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण।

शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ:-

- शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, सम्प्रेषण, शिक्षण के सिद्धान्त, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ (उपागम), सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल।

समावेशी शिक्षा-निर्देशन एवं परामर्श:-

- शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा: अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक्/ अस्थि बाधित), मानसिक दक्षता।
- समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टी0एल0एम0 एवं अभिवृत्तियाँ ।
- समावेशित बच्चों का अधिगम जाँचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी।
- समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ। यथा-ब्रेललिपि आदि।
- समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श- अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र।

28/-

- परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग/संस्थाएँ ।
 - मनोविज्ञानशाला 30प्र0, प्रयागराज।
 - मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र। (मण्डल स्तर पर)
 - जिला चिकित्सालय ।
 - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेण्टर।
 - पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तन्त्र।
 - समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ ।
 - सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन।
- बाल-अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व।

ख) अध्ययन और अध्यापन:-

- बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं; बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों 'असफल' होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएँ; बालकों की अध्ययन कार्यनीतियाँ; सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ।
- एक समस्या समाधानकर्ता और एक 'वैज्ञानिक अन्वेषक' के रूप में बालक।
- बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना; अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की 'त्रुटियों' को समझना।
- बोध और संवेदनाएं।
- प्रेरणा और अधिगम।
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक - निजी एवं पर्यावरणीय।

II. भाषा- ।

हिन्दी

30 प्रश्न

(क) विषय -वस्तु:-

- अपठित अनुच्छेद।
- संज्ञा एवं संज्ञा के भेद।
- सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद।
- विशेषण एवं विशेषण के भेद।
- क्रिया एवं क्रिया के भेद।
- वाच्य - कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य
- हिन्दी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजनो, एवं अनुस्वार एवं चन्द्रबिन्दु में अन्तर।
- वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द।
- अव्यय के भेद।
- अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग।
- "र" के विभिन्न रूपों का प्रयोग।
- वाक्य निर्माण (सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य)।
- विराम चिह्नों की पहचान एवं उपयोग।

29/-

- वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग।
- तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द।
- उपसर्ग एवं प्रत्यय।
- शब्द युग्म।
- समास, समास विग्रह एवं समास के भेद।
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
- क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक।
- सन्धि एवं सन्धि के भेद। (स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग सन्धियाँ)।
- अलंकार। (अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति)

ख) भाषा विकास का अध्यापन:-

- अधिगम अर्जन ।
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत ।
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श ।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ; भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार ।
- भाषा कौशल ।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ।
- अध्यापन-अधिगम सामग्रियाँ: पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन ।
- उपचारात्मक अध्यापन ।

III. भाषा - II

30 प्रश्न

ENGLISH

क) विषय-वस्तु:-

- Unseen Passage
- Nouns and its Kinds
- Pronoun and its Kinds
- Verb and its Kinds
- Adjective and its Kinds & Degrees
- Adverb and its Kinds
- Preposition and its Kinds
- Conjunction and its Kinds
- Intersection
- Singular and Plural

30/-

- Subject and Predicate
- Negative and interrogative sentences
- Masculine and Feminine Gender
- Punctuations
- Suffix with Root words
- Phrasal Verbs
- Use of Somebody, Nobody, Anybody
- Part of speech
- Narration
- Active voice and Passive voice
- Antonyms & Synonyms
- Use of Homophones
- Use of request in sentences
- Silent Letters in words

IV भाषा - II

30 प्रश्न

उर्दू

क) विषय-वस्तु: -

- अपठित अनुच्छेद।
- ज़बान की फन्नी महारतों की जानकारी।
- मुखतलिफ असनाफ़े अदब हम्द, ग़ज़ल, कसीदा, मर्सिया, मसनवी, गीत वगैरह की समझ एवं उनके फर्क को समझना।
- मुखतलिफ शायरों, अदीबों की हालाते जिन्दगी से वाकफियत एवं उनकी तसानीफ की जानकारी हासिल करना।
- मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू ज़बान की खिदमत और अहमियत से वाकफियत हासिल करना।
- इस्म व उसके अक़साम, फेल, सिफत, ज़मीर, तज़कीरओं तानीस, तज़ाद की समझ।
- सही इमला एवं एराब की जानकारी होना।
- मुहावरे एवं जर्बुल अमसाल से वाकफियत हासिल करना।
- सनअतों की जानकारी होना।
- सियासी, समाजी एवं एखलाकी मसाइल के तर्ई बेदार होना और उस पर अपना नज़रिया वाजै रखना।

V. भाषा - II

30

प्रश्न

संस्कृत

क) विषय-वस्तु:-

- अपठित अनुच्छेद।
- सन्धि - स्वर, व्यंजन।

31/-

- अव्यय ।
- समास।
- लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग।
- उपसर्ग।
- पर्यायवाची।
- विलोम।
- कारक।
- अंलकार।
- प्रत्यय।
- वाच्य।
- संज्ञाएँ - निम्नवत् सभी शब्दों की सभी विभक्ति एवं वचनों के रूपों का ज्ञान-

- पुल्लिङ्ग शब्द।
- स्त्रीलिङ्ग शब्द।
- नपुंसकलिङ्ग शब्द।
- अकारान्त पुल्लिङ्ग ।
- आकारान्त स्त्रीलिङ्ग।
- अकारान्त नपुंसकलिङ्ग।
- उकारान्त पुल्लिङ्ग।
- उकारान्त स्त्रीलिङ्ग।
- उकारान्त नपुंसकलिङ्ग।
- ईकारान्त पुल्लिङ्ग ।
- ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग।
- ईकारान्त नपुंसकलिङ्ग।
- ऋकारान्त पुल्लिङ्ग।

- सर्वनाम ।
- विशेषण।
- धातु ।
- संख्याएँ ।

ख) भाषा विकास का अध्यापन:-

- अधिगम और अर्जन।
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत ।
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं ।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाईयां, त्रुटियां और विकार ।

- भाषा कौशल ।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ।
- अध्यापन- अधिगम सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन ।
- उपचारात्मक अध्यापन ।

VI. गणित एवं विज्ञान

60 प्रश्न

1. गणित

क) विषय-वस्तु:-

- प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ ।
- पूर्णांक, कोष्ठक लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक ।
- वर्गमूल।
- घनमूल।
- सर्वसमिकाएँ ।
- बीजगणित, अवधारणा-चर संख्याएँ, अचर संख्याएँ, चर संख्याओं की घात।
- बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, एक, दो एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा।
- युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण।
- समान्तर रेखाएँ, चतुर्भुज की रचनाएँ, त्रिभुज ।
- वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज।
- वृत्त की स्पर्श रेखाएँ ।
- वाणिज्य गणित- अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ-हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर (टैक्स), वस्तु विनिमय प्रणाली ।
- बैंकिंग-वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैशमेमो।
- सांख्यिकी - आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारम्बारता।
- पाई एवं दण्ड चार्ट, अवर्गीकृत आँकड़ों का चित्र।
- सम्भावना (प्रायिकता) ग्राफ, दण्ड, आरेख तथा मिश्रित दण्ड आरेख।
- कार्तीय तल।
- क्षेत्रमिति। (मेन्सुरेशन)
- घातांक।

(ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे -

- गणितीय/तार्किक चिंतन की प्रकृति ।
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान ।
- गणित की भाषा ।
- सामुदायिक गणित ।
- मूल्यांकन ।
- उपचारात्मक शिक्षण ।
- शिक्षण की समस्याएं ।

2. विज्ञान

(क) विषय-वस्तु:-

- दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
 - रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक। (प्रक्रिया)
 - सजीव, निर्जीव पदार्थ -जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जन्तु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जन्तुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जन्तुओं एवं पौधों में परिवर्तन।
 - जन्तु की संरचना व कार्य।
 - सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण।
 - कोशिका से अंगतन्त्र तक।
 - किशोरावस्था, विकलांगता।
 - भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र।
 - जन्तुओं में पोषण।
 - पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे।
 - जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जन्तु।
 - मापन।
 - विद्युत धारा।
 - चुम्बकत्व।
 - गति, बल एवं यंत्र।
 - ऊर्जा।
 - कम्प्यूटर।
 - ध्वनि।
 - स्थिर विद्युत।
 - प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र।
 - वायु-गुण, संघटन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव।
 - जल - आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल-संरक्षण।
 - पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति।
 - पास-पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन।
 - अम्ल, क्षार, लवण।
 - ऊष्मा एवं ताप।
 - मानव निर्मित वस्तुएँ, प्लास्टिक, काँच, साबुन, मृत्तिका।
 - खनिज एवं धातु।
 - कार्बन एवं उसके यौगिक।
 - ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत।
- ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे:-
- विज्ञान की प्रकृति और संरचना ।
 - प्राकृतिक विज्ञान/लक्ष्य और उद्देश्य ।

- विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना ।
- दृष्टिकोण / एकीकृत दृष्टिकोण ।
- प्रेक्षण/प्रयोग/अन्वेषण। (विज्ञान की पद्धति)
- अभिनवता ।
- पाठ्यचर्या सामग्री/सहायता-सामग्री ।
- मूल्यांकन ।
- समस्याएं ।
- उपचारात्मक शिक्षण ।

VII. सामाजिक अध्ययन व अन्य -

60 प्रश्न

क) विषय-वस्तु:-

I. इतिहास

- इतिहास जानने के स्रोत।
- पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति।
- छठी शताब्दी ई०पू० का भारत।
- भारत के प्रारम्भिक राज्य।
- भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना।
- मौर्येतरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य।
- इस्लाम का भारत में आगमन।
- दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन।
- मुगल साम्राज्य, संस्कृति, पतन।
- यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना।
- भारत में कम्पनी राज्य का विस्तार।
- भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय।
- स्वाधीनता आन्दोलन, स्वतन्त्रता प्राप्ति, भारत विभाजन।
- स्वतन्त्र भारत की चुनौतियां।

II. नागरिक शास्त्र:-

- हम और हमारा समाज।
- ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन।
- ग्रामीण व नगरीय स्वशासन।
- जिला प्रशासन।
- हमारा संविधान।
- यातायात सुरक्षा।
- केन्द्रिय व राज्य शासन व्यवस्था।
- भारत में लोकतन्त्र।
- देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति।

35/-

- वैश्विक समुदाय एवं भारत।
- नागरिक सुरक्षा।
- दिव्यांगता।

III. भूगोल:-

- सौरमण्डल में पृथ्वी, ग्लोब- पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ।
- मानचित्रण, पृथ्वी के चार परिमण्डल, स्थल मण्डल- पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप।
- विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार।
- उत्तर प्रदेश -भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव कृषि, खनिज उद्योग-धन्धे जनसंख्या, एवं नगरीकरण।
- धरातल के रूप, बदलने वाले कारक। (आंतरिक एवं वाह्य कारक)
- वायुमण्डल, जलमण्डल।
- संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन।
- खनिज संसाधन, उद्योग- धन्धे।
- आपदा एवं आपदा प्रबन्धन।

IV. पर्यावरणीय अध्ययन:-

- पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता।
- प्राकृतिक संतुलन।
- संसाधनों का उपयोग।
- जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण-प्रदूषण।
- अपशिष्ट प्रबन्धन, आपदाएँ, पर्यावरणविद्, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेण्डर।

V. गृहशिल्प/गृहविज्ञान:-

- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार।
- खाद्य पदार्थों का संरक्षण।
- प्रदूषण।
- पाचन सम्बन्धी रोग एवं सामान्य बीमारियाँ।
- गृह प्रबन्धन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला।

VI. शारीरिक शिक्षा एवं खेल:-

- शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम।
- मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार।
- छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अन्तर्राष्ट्रीय खेल।
- खेल और हमारा भोजन।
- प्राथमिक चिकित्सा।
- नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचाव का उपाय, खेलकूद, खेल प्रबन्धन एवं नियोजन

का महत्व।

VII. संगीत :-

- स्वर ज्ञान।
- राग परिचय ।
- संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान।
- तीव्र मध्यम वाले राग।
- वन्दना गीत/झण्डा गान।
- देशगान, देशगीत, भजन।
 - वनसंरक्षण/वृक्षारोपण।
 - क्रियात्मक गीत ।

VIII. उद्यान विज्ञान एवं फलसंरक्षण:-

- मिट्टी, मृदा गठन, भू-परिष्करण, यंत्र, बीज, खाद उर्वरक।
- सिंचाई, सिंचाई के यंत्र।
- बाग लगाना, विद्यालय वाटिका।
- झाड़ी एवं लताएँ, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती
- प्रवर्धन, कार्यात्मक प्रवर्धन
- फल परीक्षण, फल संरक्षण-जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना
- जलवायु विज्ञान
- फसल चक्र

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे:-

सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति:-

- कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान ।
- विवेचित चिंतन का विकास करना ।
- पूछताछ/अनुभवजन्य साक्ष्य ।
- सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं ।
- प्रोजेक्ट कार्य ।
- मूल्यांकन।

टिप्पणी: कक्षा I से VIII तक की विस्तृत पाठ्यचर्या के लिए कृपया बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का अवलोकन करें।

परिशिष्ट- II

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 15.3 का संलग्नक)

क. यूपीटीईटी के आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया:-

1. परीक्षा कक्षा/ हॉल परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व खोले जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ट्रेफिक जाम, ट्रेन/बस की देरी इत्यादि के कारण समय पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह संभव है कि वे परीक्षा हॉल में घोषित किए जाने वाले सामान्य अनुदेशों को सुनने से वंचित हो जाएं।

2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने आनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र (डाइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड), पासपोर्ट) की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा -
 - (i) प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति
 - (ii) सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य /सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति

जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश-पत्र, पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित की जाएगी जिस पर उसका रोल नम्बर दर्शाया गया होगा। अभ्यर्थी को अपने लिए आवंटित सीट पर ही बैठना होगा। यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने उसे आवंटित किए गए अपने कमरे अथवा सीट को बदला है, तो उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के पश्चात् आता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल /कक्ष के भीतर प्रवेश-पत्र तथा काले बॉल प्वाइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, कैलकुलेटर, डाकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त में से कोई भी सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को 'अनुचित तरीके' के रूप में माना जाएगा और वह सामग्री भी जब्त करते हुए उसकी विद्यमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।
6. केन्द्र अधीक्षक अथवा संबंधित निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा, जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। अभ्यर्थी अपनी उत्तर-पुस्तिकाएं ड्यूटी पर उपस्थित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्षा/ हॉल से बाहर नहीं जाएंगे।
7. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्ड बोर्ड अथवा एक क्लिपबोर्ड लेकर आए जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ताकि परीक्षा कक्ष/ हॉल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह के समतल न होने की स्थिति में भी उन्हें उत्तर-पुस्तिकाओं पर अपने उत्तर अंकित करने में कोई कठिनाई न हो। उन्हें अपने साथ अच्छी क्वालिटी के बॉल प्वाइंट पेन (काला) लाने चाहिए। इन्हें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
8. परीक्षा हॉल /कक्ष में धूम्रपान करना, गुटका चबाना, थूकना आदि सख्त मना है।
9. परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्षों में चाय, काफी, शीतल पेय आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।
10. पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद टेस्ट-बुकलेट दी जाएगी जिसके भीतर उत्तर पुस्तिका रखी होगी।
11. टेस्ट-बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी टेस्ट-बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बॉल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। वे तब तक टेस्ट-बुकलेट को नहीं खोलेंगे, जब तक कि निरीक्षक

द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया हो। घोषणा होने से पूर्व उसकी सील को न खोलें/तोड़ें।

परीक्षा से पूर्व महत्वपूर्ण अनुदेश:-

12. पेपर के आरंभ होने से पांच मिनट पूर्व अभ्यर्थी को टेस्ट-बुकलेट की सील को तोड़ने/खोलने के लिए कहा जाएगा। वे अपना उत्तर-पत्रक सावधानीपूर्वक निकालेंगे। अभ्यर्थी को सावधानी से जांच करनी चाहिए कि उत्तर-पत्रक पर अंकित टेस्ट-बुकलेट कोड वही है जो टेस्ट-बुकलेट पर अंकित है। इनमें भिन्नता होने के मामले में, अभ्यर्थी को तत्काल ही इसकी सूचना टेस्ट-बुकलेट और उत्तर-पत्रक को बदलने के लिए परीक्षा निरीक्षक को देनी चाहिए।
13. इसके पश्चात अभ्यर्थी उत्तर-पत्रक पर अपने विवरण केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखेंगे। पेंसिल के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है, तो उत्तर-पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस चरण को पूरा करने के पश्चात, अभ्यर्थी निरीक्षक के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे।
14. परीक्षा ठीक उसी समय पर आरंभ होगी जिसका उल्लेख प्रवेश-पत्रक में किया गया है तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।
15. परीक्षा के समय के दौरान, निरीक्षक प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्रक की जांच करेंगे ताकि वे प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान के बारे में संतुष्ट हो सकें। निरीक्षक उत्तर-पत्रक पर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

अनुचित तरीके:

16. अभ्यर्थी बिल्कुल शांत रहेंगे तथा केवल अपने प्रश्न-पत्र को ही ध्यान लगाकर हल करेंगे। परीक्षा कक्षा/ हॉल में किसी प्रकार के वार्तालाप, इशारे अथवा व्यवधान को दुर्व्यवहार माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीकों का प्रयोग करता हुआ अथवा किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया, तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।
17. परीक्षा के आरंभ में तथा आधा समय बीतने पर एक संकेत दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व भी एक संकेत दिया जाएगा तब अभ्यर्थी को अपने उत्तर अंकित करना बंद कर देना होगा।
18. अभ्यर्थी यह जांच करेंगे कि टेस्ट-बुकलेट में उतने ही पृष्ठ हैं जितने कि टेस्ट-बुकलेट के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर लिखे हुए हैं। अभ्यर्थी टेस्ट-बुकलेट से कोई पृष्ठ नहीं निकालेंगे तथा यदि उसे अपनी टेस्ट-बुकलेट से कोई पृष्ठ निकालते हुए पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाएगा तथा अभ्यर्थी आपराधिक कार्रवाई का पात्र होगा।
19. अभ्यर्थी को उपस्थिति-पत्रक में उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

ख. टेस्ट-बुकलेट तथा उत्तर-पत्रक का प्रयोग करने के लिए अनुदेश:-

1. अभ्यर्थी को सीलबंद टेस्ट-बुकलेट के भीतर उत्तर-पत्रक प्राप्त होगा। निरीक्षक द्वारा घोषणा किए जाने पर ही अभ्यर्थी द्वारा सील को तोड़ा/खोला जाएगा तथा उत्तर-पत्रक को बाहर निकाला जाएगा। घोषणा से पहले सील न खोले/तोड़े।